झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013..33/22-23 प्र० स्वी०   /राँची, दिनांकः– 16.08.2022

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय :– सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत भौरा बॉध बराज योजना के बराज गेट एवं H/R गेटों का मरम्मति एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 62.775 लाख (रूपये बासठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत भौरा बॉध बराज योजना के बराज गेट एवं H/R गेटों का मरम्मति एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रू० 62.775 लाख (रूपये बासठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भौरा बॉध बराज योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

   i. भौरा बॉध बराज योजना के शीर्ष स्थल पर 03 (तीन) अदद् बराज गेट एवं 01 (एक) अदद् Under sluice गेट में उतोलन प्रणाली बदलने तथा एक अदद् H/R गेट का मरम्मति, शेड लगाने, रबर सील एवं स्टेनलेस स्टील (एस०एस०) सील प्लेट लगाने का कार्य।

   ii. भौरा मुख्य नहर के चेन संख्या–29 में चन्दा वितरणी में एक अदद् H/R गेट का R/M कार्य।

   iii. भौरा बॉध बराज योजना के मुख्य नहर के चेन संख्या–198 में करवा वितरणी में एक अदद् H/R गेट के निर्माण एवं अधिष्ठापन का कार्य।

   iv. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने के पश्चात तीन वर्षो तक सामान्य मरम्मति, सम्पोषण एवं संचालन कार्य।

3. भौरा बॉध बराज योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अवयवार विवरणी निम्नवत् है।

Sl.	Item of works	Amount (Rs)
1	2	6
1	Providing Labour for complete cleaning at worksite and extraction of old damage and unserviceable parts, primer and paint for 3 Barrage,1 U/S and 1 H/R Gates at headwork's site. Dismantling R.C.C & Providing P.C.C. work for 1 H/R gate of Kaswa Distributory	215092.50
2	Fabricating, fitting & fixing of embedding components at 3 Barrage,1 U/S and 1 H/R Gates at headwork's site & 1 H/R gate of Kaswa Distributory	130932.00
3	Fabricating, fitting & fixing of gate and allied works of 1 H/R gate of	91752.00

E:\Node-4\A.Sankar\Sanlekh\Bhowra bandh-27.06.2022\Bhowra bandh.docx

	Kaswa Distributory	
4	Fabricating, fitting & fixing shed for Hoisting of 3 Barrage,1 U/S gates	622369.00
5	Fitting and fixing of Hoisting arrangement at 3 Barrage,1 U/S and 1 H/R gates at headwork's site and 1 H/R gate of Kaswa distributory(including hoist bridge) and overhauling of hoisting system of 1 H/R gate of Chanda distributory.	3608844.00
6	Fitting & Fixing of Rubber Seal with Components at 3 Barrage,1 U/S and 1 H/R gate at headwork's site and 1 H/R gate of Kaswa distributory.	138105.00
7	General Repair & Maintenance for Three Years	687789.00
	Total	**Rs. 5494883.50**
	Add 12% GST	**Rs. 659386.02**
	Total	**Rs. 6154269.52**
	Add 1% Labour cess	**Rs. 61542.70**
	Add 1% Contigensy	**Rs. 61542.70**
	Grand Total	**Rs. 2624834.47**
	Say	**Rs. 6277355.00**

4. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर होंगे।

5. मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन–उपशीर्ष–78–पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य (विपत्र कोड 49-S-4701-80-001-78-00-05-45) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वर्ष 2022–23 के बजट में पूर्ण एवं चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन एवं ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है। शीर्ष 49–S–4701–80–001–78–00–05–45 में रू० 6150.00 लाख है।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।

8. राशि की निकासी कोषागार देवघर से की जायेगी।

9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

10. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रारंभ कर 2023–24 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

11. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. कार्य में निकलने वाले स्क्रैप का वर्त्तमान दर पर आकलित मूल्य का 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा कराया जायेगा।

13. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्त्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।

14. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

15. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।

16. कार्य कराने वाली Agency/संवेदक द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन (03) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।

17. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013 33/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013 33/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013 33/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वीकृत्यादेश Online upload करने हेतु/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3 राँची/कार्यपालक अभियंता, यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/08/2022

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013 33/22-23 प्र० स्वी० /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– आयुक्त, संथाल परगना दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

E:\Mode-4\A.Sankar\Sanlekh\Bhowra bandh-27.06.2022\Bhowra bandh.docx

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3/पी०एम०सी०/कार्य–90/2013 33/22-23 (ह०) /राँची, दिनांकः– 16.08.22

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/08/2022
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

E:\Node-4\A.Sankar\Sanlekh\Bhowra bandh 27.06.2022\Bhowra bandh.docx